20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10 रु. कोर्ट फीस Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

406

न्यायालयः— राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश

III/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2018/0655

गोविन्द खेमका आ.— कन्हैयालाल खेमका निवासी ग्राम अनूपपुर तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र. .... पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

वृंदावन चतुर्वेदी आ.— अंबिका प्रसाद चतुर्वेदी निवासी ग्राम अनूपपुर (पुरानी बस्ती) तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र. ....गैर पुनरीक्षणग्रहिता

श्री ... द्वारा आज दि. 25-1-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-2-18 नियत।

25-1-18

रीडर ... कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र. के राज. प्रकरण क. 122/अ–74/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24/11/2017 के विरुद्ध।

प्रकरण के तथ्य :–

पुनरीक्षणकर्ता की के ओर से निम्न निवेदन है :–

1. पुनरीक्षणकर्ता गोविन्द खेमका द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 सहपठित धारा 32 म.प्र. भू.रा. संहिता के अंतर्गत तहसीलदार अनूपपुर जिला अनूपपुर के रा.प्र.कं. 91/अ–3/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 08/08/2012 का पुर्नविलोकन करते हुए आदेश निरस्त किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया था। यह प्रकरण प्रस्तुत हो जाने के पश्चात तहसीलदार अनूपपुर द्वारा एक अन्य प्रकरण जो गैर पुनरीक्षणग्रहिता वृन्दावन द्वारा धारा 250 म.प्र. भू.रा.संहिता का आवेदन पत्र इस पुनरीक्षणकर्ता गोविन्द्र प्रसाद के विरुद्व प्रस्तुत किया गया था जिसका प्रकरण कमांक 12/अ–70/2012–13 प्रस्तुत किया गया था के साथ संलग्न कर दिया गया और 12/अ–70/2012–13 में अंतिम आदेश पारित कर प्रकरण खारिज कर दिया गया लेकिन इस पुनरीक्षकणकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 51 सहपठित धारा 32 म.प्र. भू.रा.संहिता पर कोई कार्यवाही नही की गई जिसके फलस्वरुप इस पुनरीक्षकर्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक- दो/निग./अनूपपुर/भू.रा./2018/0655

गोविन्द खेमका विरूद्ध वंदावन चतुर्वेदी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11 -01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत ।	
	2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित।	
	3. यह निगरानी तहसीलदार अनूपपुर, जिला-अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक-122/अ-74/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 24-11-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 25-01-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।	
	4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –	
11.01.19	''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''	
	5. तहसीलदार, जिला-उमरिया के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

11/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य